F. No.1-12/2026/146566- Legal

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi

विधिक एवं मान्यता अनुभाग / **Legal and Affiliation Department**

वेबसाइट / **www.lbspstc.com**

****

दिनांक / **Dated: 17.04.2026**

संस्थान के विरुद्ध विधिक / प्रशासनिक कार्यवाही संबंधी आदेश

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबंधक,

सृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन,

बिधूना, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश।

विषयः– दिनांक 27–03–2026 को परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में 05–04–2026 तक हर हाल में उत्तर–पुस्तिकाएँ परिषद को उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप संस्थान के विरुद्ध विधिक / प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि परिषद द्वारा **दिनांक 09 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026** तक विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित कराई गई थीं। अत्यंत गंभीर विषय यह है कि परिषद द्वारा **दिनांक 27–03–2026** को जारी अधिसूचना के माध्यम से आपके संस्थान सहित संबंधित संस्थानों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था **कि 09 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026** तक संपन्न परीक्षाओं की समस्त उत्तर–पुस्तिकाएँ **दिनांक 05–04–2026** तक किसी भी दशा में परिषद को हर हाल में उपलब्ध करा दी जाएँ। इसके बावजूद, आपके संस्थान द्वारा न तो संबंधित परीक्षार्थियों की उत्तर–पुस्तिकाएँ नियमानुसार परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई गईं। यह कृत्य अत्यंत गंभीर प्रशासनिक लापरवाही, परीक्षा अनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन, परिषद के आधिकारिक निर्देशों की घोर अवहेलना तथा विद्यार्थियों के हितों के प्रति संस्थान की उत्तरदायित्वहीनता को दर्शाता है। एक संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से इस प्रकार के गैर–जिम्मेदाराना आचरण की कदापि अपेक्षा नहीं की जाती है। आपके संस्थान की इस घोर लापरवाही के कारण परीक्षा मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित करने की समग्र प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों, आगामी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रशिक्षण,

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

APPROVED

छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, रोजगार के अवसरों तथा उनकी समग्र शैक्षणिक प्रगति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

चूँकि परिषद की **दिनांक 27–03–2026** की अधिसूचना में निर्धारित अंतिम तिथि **05–04–2026** तक भी उत्तर–पुस्तिकाएँ उपलब्ध नहीं कराई गईं, इसलिए परिषद यह अभिलिखित करती है कि अब उक्त उत्तर–पुस्तिकाएँ नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार नहीं की जाएँगी और प्रकरण को संस्थान के विरुद्ध विधिक, दंडात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में परिषद द्वारा संस्थान के विरुद्ध संबद्धता/मान्यता निलंबन अथवा निरस्तीकरण की संस्तुति, परीक्षा संबंधी विशेष प्रतिबंध, अभिलेखों की जब्ती/सत्यापन हेतु निरीक्षण, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा अन्य उपलब्ध विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

परिषद एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि संस्थान के पास अपने आचरण के समर्थन में कोई वैध एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। अतः परिषद छात्रहित, परीक्षा की शुचिता तथा अभिलेखीय उत्तरदायित्व की रक्षा हेतु तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय विधिक/प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

कानूनी/नियामकीय आधार

1. प्रचलित नियमों, परिषद के विनियमों, परीक्षा उपविधियों एवं संबद्धता की शर्तों के अंतर्गत संस्थान पर परीक्षा सामग्री, उत्तर–पुस्तिकाओं एवं संबंधित अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण, समयबद्ध प्रस्तुतिकरण तथा सत्य प्रतिवेदन की बाध्यता निहित है।
2. परिषद के वैध निर्देशों, विशेषतः दिनांक 27–03–2026 को जारी अधिसूचना जिसमें 05–04–2026 तक हर हाल में उत्तर–पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, तथा तत्पश्चात जारी कारण बताओ नोटिस की अवहेलना को गंभीर संस्थागत कदाचार माना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप संबद्धता, परीक्षा केंद्राधिकार एवं अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर प्रतिकूल निर्णय लिया जा सकता है।
3. छात्रहित, परीक्षा की शुचिता एवं अभिलेखीय पारदर्शिता की रक्षा हेतु परिषद संस्था का विशेष निरीक्षण, अभिलेख सत्यापन, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा आवश्यक होने पर दंडात्मकधविधिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है।
4. अनुपालन न होने अथवा उत्तर–पुस्तिकाओं के अनधिकृत विलंब/रोककर रखने की स्थिति में संस्था के विरुद्ध प्रतिबंध, निलंबन, मान्यता/संबद्धता संबंधी प्रतिकूल संस्तुति तथा अन्य उपलब्ध विधिक उपाय अपनाए जा सकते हैं।
5. यदि संस्थान का आचरण छात्रहित, परीक्षा परिणाम, अभिलेखीय सुरक्षा अथवा परिषद की वैधानिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता पाया जाता है, तो परिषद सक्षम न्यायालय/न्यायिक मंच के समक्ष उपयुक्त वाद, परिवाद, प्रार्थना–पत्र, निषेधाज्ञा, अभिलेख उपलब्ध कराने संबंधी आदेश तथा अन्य विधिसम्मत राहत हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने की अधिकारिणी होगी।
6. प्रकरण को एकपक्षीय निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
7. संस्थान के विरुद्ध विधिक राय प्राप्त कर आवश्यक दंडात्मक/विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

APPROVED

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

संस्थान के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही के संबंध में

1. परिषद, उपलब्ध अभिलेखों एवं विधिक परामर्श के आधार पर, संस्थान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/न्यायिक मंच के समक्ष उपयुक्त दीवानी वाद, परिवाद, प्रार्थना–पत्र अथवा अन्य न्यायिक कार्यवाही दायर/संस्थित करने की कार्रवाई करेगी।
2. यदि परीक्षण में यह प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि परीक्षा अभिलेख, उत्तर–पुस्तिकाएँ या संबंधित दस्तावेज अनुचित रूप से रोके गए, छिपाए गए, अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किए गए अथवा उनके संबंध में तथ्यात्मक असहयोग किया गया, तो परिषद उपलब्ध विधि के अनुसार उपयुक्त शिकायत/परिवाद दायर करने पर विचार करेगी।
3. परिषद आवश्यक होने पर सक्षम न्यायालय से अभिलेख उपलब्ध कराने, अभिलेखों के संरक्षण, संस्थान को आवश्यक सहयोग हेतु बाध्य करने तथा छात्रहित प्रभावित होने से रोकने के लिए उपयुक्त अंतरिम/अंतिम राहत का आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेगी।
4. न्यायालयीन कार्यवाही हेतु परिषद अपने विधिक प्रकोष्ठ/अधिकृत अधिवक्ता को अधिकृत करेगी, जो इस प्रकरण से संबंधित समस्त पत्राचार, नोटिस, निरीक्षण प्रतिवेदन, परीक्षा अभिलेख, छात्र अभ्यावेदन तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक वादपत्र तैयार करेगा।
5. यह पत्र, पूर्व में जारी निर्देश, कारण बताओ नोटिस, संस्थान की अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति तथा उपलब्ध अभिलेख भविष्य की न्यायालयीन/प्रशासनिक कार्यवाही में अभिलेखीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जा सकेंगे।

अतः यह आदेश/सूचना अभिलेखित की जाती है कि परिषद की दिनांक 27–03–2026 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित अंतिम तिथि 05–04–2026 तक उत्तर–पुस्तिकाएँ हर हाल में उपलब्ध न कराए जाने के कारण परिषद अब संस्थान के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करेगी। आवश्यक होने पर संस्थान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में उपयुक्त वाद/परिवाद/अन्य न्यायिक कार्यवाही भी दायर की जाएगी। इस प्रकरण में छात्रहित सर्वोपरि माना जाएगा।

प्रतिलिपि सूचना हेतु

1. **अध्यक्ष महोदय,** लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल, नई दिल्ली–सूचनार्थ।
2. **परीक्षा विभागः**–शैक्षणिक प्रकोष्ठ–अभिलेख एवं अनुपालन हेतु।
3. **आई.टी. प्रकोष्ठ**–परिषद की वेबसाइट/ पोर्टल पर अपलोड हेतु।
4. **कार्यालय अभिलेख।**

17/04/2026

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

APPROVED

(अभिषेक त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत